राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी–88 (पार्ट–III)/2021/ दिनांक :

संशोधित आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 12594/2020 में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 03.12.2020 की पालना में उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 24 (108) चिस्वा./ग्रुप–3/2009 दिनांक 11.12.2020 के द्वारा संस्था को शामिल किये जाने की अनुमति प्रदान करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक प्रशि./जनप्र/जी–88 (पार्ट–III)/2020/836 दिनांक 17.12.2020 के द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित **जीनियस हैल्थ एण्ड नर्सिंग शिक्षण संस्थान, सरस्वती नगर, अपोजिट सरस डेयरी, भीलवाडा** की 40 सीट विभागीय वैबसाईट पर दर्शायी गयी थी।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 4190/2021 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.03.2021 की पालना में उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग के पत्र क्रमांक प.24 (27)/चिस्वा./ग्रुप–3/2011 दिनांक 12.04.2021 के द्वारा जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020–21 की काउंसलिंग हेतु उक्त संस्थान को प्रोविजनली 40 के स्थान पर 60 सीटों की अनुमति प्रदान की जाती है, जो कि माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

-sd-
(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी–88 (पार्ट–III)/2021/320 दिनांक : 19/4/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फैडरेशन, ई–277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल, भीलवाडा।
6. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश/सूची को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020–21 में अपलोड करने का श्रम करे।
7. उप प्रबंधक (एसीपी) राज. कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानों को जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020–21 की सूची में सम्मिलित करने का श्रम करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

D:\Training Section 2020\GNM-ANM 2020-21\GNM 2020-21